इस्लाम 'धर्म' नहीं है, यह एक अमानवीय और अत्याचारी व्यवस्था है

'महाभारत' में धर्म शब्द की परिभाषा में कहा गया है - 'दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा व्यवहार हम अपने साथ नहीं चाहते।' हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा हमारे से धोखा करे, हमारे से झूठ बोले, हम पर अत्याचार करे, हमारा धन-दौलत लूटे, हमें मारे, हमारी स्त्रियों का अपमान करे - उनसे बलात्कार करे। पर इस्लाम में गैर-मुस्लिमों के साथ यह सब करने को उचित माना गया है। मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान गैर-मुस्लिमों पर ये सब तथा और कई प्रकार के अत्याचार करने का आदेश देती है। मुसलमान कुरान की प्रत्येक बात पर अमल करना अपना कर्तव्य मानते हैं। इस्लाम का चौदह सौ साल का इतिहास साक्षी है कि मुसलमान कुरान की ऐसी बातों पर पूरी तरह अमल करते आए हैं।

उदाहरण के तौर पर कुरान की कुछ आयतें -
(9:5) जब पवित्र महीने बीत जाएँ तब मूर्तिपूजक जहाँ भी मिलें उन्हें कत्ल करो, उन्हें कैद करो, बलपूवर्क घेरो और उन पर हमला करने के लिए छुपकर प्रतीक्षा करो। परन्तु अगर वे पश्चाताप करें, मुस्लिम प्रेयर करें और गरीब मुसलमानों के लिए धन दें तो उन्हें छोड़ दो। निश्चित तौर पर अल्लाह क्षमा करने वाला और दया करने वाला है।
(8:12) गैर मुस्लिमों के दिलों में मैं आतंक बिठा दूँगा। उनकी गर्दनों पर और सब उंगलिओं पर सख्त प्रहार करो।
(69:30-33) उसे अचानक और ताकत से पकड़ो, उसके पैरों में बेड़ी डालो, फिर जलती हुई आग में फेंक दो। फिर उसे सत्तर हाथ लम्बी जंजीर से बाँध दो। उसे महान अल्लाह पर विश्वास न था।
(4:101) गैर मुस्लिम निश्चित तौर पर तुम्हारे खुले शत्रु हैं।

संसार में हर प्राणी सुख चाहता है, कोई भी दुःख नहीं चाहता। परन्तु इस्लाम में गैर-मुस्लिमों और पशु-पक्षियों को अत्यन्त पीड़ा पहुँचाने के आदेश हैं। मुसलमान खाने के लिए पशु-पक्षियों को मारते हैं, हलाल के नाम पर उन्हें तड़पा-तड़पा कर उनकी हत्या करते हैं। गैर-मुस्लिमों को भी अनेक प्रकार से यातनाएं देकर उनका वध करते हैं। यह इस्लाम की विशेषता है। इस्लाम में स्त्रियों को खेती की तरह भोग की वस्तु माना गया है। मुसलमान पुरुष स्त्री को जब चाहे जितना चाहे भोगे और फिर जब चाहे उसे बच्चों समेत तलाक-तलाक-तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दे। उस पीड़िता स्त्री को किसी न्यायालय में जाने का या गुज़ारा भत्ता मांगने का भी अधिकार नहीं है। अदालत में स्त्री की गवाही पुरुष से आधी मानी जाती है। बलात्कार की शिकार मुस्लिम महिला से बलात्कार को सिद्ध करने के लिए चार पुरुष गवाह मांगे जाते हैं जो होना असम्भव है। अन्त में उस बलात्कार की पीड़िता स्त्री को ही बदचलन बताकर उसे पत्थरों से मार-मार कर जान से मार दिया जाता है।

'धर्म' शब्द संस्कृत भाषा का है। यह शब्द 'धृ' धातु से बना है जिसका अर्थ है - धारण करने योग्य। वेद, जो संस्कृत भाषा में हैं, ही हिन्दुओं (आर्यों) के धर्मग्रन्थ और ज्ञानग्रन्थ हैं। ऋग्वेद (10-53-6) में 'मनुर्भव' कहकर मनुष्य को वास्तव में मानव बनने का संदेश दिया गया है। वेदों के अनुसार मानवीय गुणों में - दूसरे के सुख-दुख को अपने सुख-दुख के समान

समझना, स्वामी की आज्ञा और इच्छा के बिना दूसरे का पदार्थ न लेना, बिना अपराध किसी को दण्ड न देना, पक्षपात रहित न्याय करना, सत्य का आचरण करना अर्थात जो मन में हो वही कहना और वही करना, मन को राग-द्वेष से रहित रखना, पराई स्त्री पर कुदृष्टि न रखना, धैर्यवान और सहनशील होना, अनावश्यक क्रोध न करना आदि गुण शामिल हैं।

यजुर्वेद (36-18) कहता है 'मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे' अर्थात हम सब एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें। परन्तु इस्लाम में भाईचारा सिर्फ मजहब का है। एक मुसलमान के लिए दूसरा मुसलमान संसार में कहीं भी रहता है वह उसका भाई है। परन्तु हर गैर-मुसलमान को वह अपना शत्रु मानता है बेशक वह उसके पड़ौस में रहता हो। और भी गैर-मुसलमान मुसलमान बन जाए तो ठीक, नहीं तो वह वध किए जाने के काबिल है।

इस्लाम का जन्म ईसा की सातवीं सदी में हुआ था। पिछले लगभग 1400 वर्षों का इस्लाम का इतिहास अत्याचारों और हत्याओं से भरा है। 'राजनैतिक इस्लाम के अध्ययन केन्द्र' के अनुसार सारी दुनिया में इस्लाम को मानने वालों ने 27 करोड़ निर्दोष गैर-मुस्लिम लोगों को कत्ल किया, उतने ही लोगों को मौत का डर दिखाकर मुसलमान बनाया, करोड़ों स्त्रियों का शील भंग किया, अन्य करोड़ों लोगों को दास बनाया, अनगिणत मकानों और दुकानों को जलाया तथा सम्पत्ति का नाश किया। आज भी संसार में आतंक की जो घटनाएं हो रही हैं उनमें 95% से अधिक घटनाएं इस्लाम को मानने वालों के द्वारा ही की जा रही हैं।

अनवर शेख इंग्लैंड में रहने वाला पाकिस्तानी मूल का एक मुसलमान था। उसने इस्लाम की पोल खोलने वाली कई पुस्तकें लिखी हैं जिनमें से एक है 'ISLAM - SEX AND VIOLENCE' अर्थात 'इस्लाम - सम्भोग और हिंसा'। यह पुस्तक इंग्लैंड में ही छपी है। पुस्तक में वह लिखता है कि इस्लाम में दो बातें ही महत्त्वपूर्ण हैं - (एक) स्त्री से सम्भोग और (दो) गैर-मुस्लिमों पर हिंसा। इस्लाम के प्रवर्तक मुहम्मद का अपने विरोधियों को चुप करवाने का तरीका यह था कि वह उनका वध करवा देता था। मुहम्मद ने अपने जीवन में नौ शादियां की थीं। अन्तिम शादी उसने 52 वर्ष की आयु में अपने एक शिष्य अबु बकर की छे (6) वर्ष की अबोध पुत्री आयशा से की थी। जब वह नौ वर्ष की हो गई तब वह उसे अपने पास ले आया था तथा उसके साथ सम्भोग करने लगा था।

कृष्ण चन्द्र गर्ग
0172-4010679
kcg831@yahoo.com